International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

भारत में असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम: मुद्दों, चुनौतियों एवं संभावनाओं का समीक्षात्मक अध्ययन

संतोष कुमार राय
डिपार्टमेंट ऑफ़ सोशियोलॉजी, स्कूल ऑफ़ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़
वाई बी एन यूनिवर्सिटी, राँची, झारखंड
डॉ. मनोज गोबर्धन पुरी
सह-प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, वाई.बी.एन. विश्वविद्यालय, राँची, झारखंड

सारांश
बाल श्रम भारत की एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक एवं मानवाधिकार संबंधी समस्या है, जिसका सर्वाधिक संकेन्द्रण देश के असंगठित क्षेत्र में पाया जाता है। प्रस्तुत समीक्षात्मक अध्ययन का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में व्याप्त बाल श्रम के स्वरूप, कारणों, इससे उत्पन्न समस्याओं, उन्मूलन हेतु संचालित नीतियों एवं विधिक प्रावधानों, क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियों तथा भविष्य की संभावनाओं का विवेचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना है। यह अध्ययन द्वितीयक स्रोतों — शोध पत्रिकाओं, सरकारी प्रतिवेदनों, जनगणना आँकड़ों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों (आई.एल.ओ. एवं यूनिसेफ) के प्रकाशनों — पर आधारित है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक असमानता, प्रवासन एवं सस्ती श्रम-शक्ति की माँग जैसे परस्पर संबद्ध कारक असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम को निरंतर बनाए रखते हैं। यद्यपि भारत में बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जैसे सशक्त विधिक-नीतिगत ढाँचे विद्यमान हैं, तथापि असंगठित क्षेत्र की अदृश्यता, बिखराव एवं निगरानी के अभाव के कारण इन प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, डिजिटल निगरानी, सामुदायिक भागीदारी तथा सतत विकास लक्ष्यों (विशेषकर लक्ष्य 8.7) के प्रति समन्वित प्रयास ही बाल श्रम-मुक्त भारत की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।
कुंजी शब्द (Keywords): बाल श्रम, असंगठित क्षेत्र, गरीबी, शिक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सतत विकास लक्ष्य, भारत।

1. परिचय

बचपन मानव जीवन का वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं बौद्धिक विकास की नींव रखी जाती है। किंतु विकासशील देशों, विशेषकर भारत में, करोड़ों बच्चे इस मूलभूत अधिकार से वंचित होकर समय से पूर्व ही श्रम-बाजार में धकेल दिए जाते हैं। बाल श्रम केवल आर्थिक

शोषण का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह बाल अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानवीय गरिमा के हनन से सीधे जुड़ा हुआ एक बहुआयामी सामाजिक संकट है। भारत में बाल श्रम का सर्वाधिक एवं सर्वाधिक छिपा हुआ रूप असंगठित क्षेत्र में दृष्टिगोचर होता है, जहाँ कृषि, घरेलू कार्य, ढाबे-होटल, ईंट-भट्ठे, बीड़ी निर्माण, कालीन बुनाई, चूड़ी उद्योग, चमड़ा उद्योग एवं छोटे विनिर्माण इकाइयों में बच्चे न्यूनतम मजदूरी अथवा बिना मजदूरी के कार्यरत हैं।

भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 5–14 वर्ष आयु-वर्ग के लगभग 1.01 करोड़ बच्चे 'मुख्य' अथवा 'सीमांत' श्रमिक के रूप में कार्यरत थे, जबकि इसी अवधि में करोड़ों बच्चे विद्यालय से बाहर थे। यह आँकड़ा इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत अधिकांश बाल श्रमिक किसी औपचारिक अभिलेख में दर्ज ही नहीं होते, जिससे वास्तविक संख्या इन आधिकारिक आँकड़ों से कहीं अधिक होने की प्रबल संभावना रहती है। असंगठित क्षेत्र की प्रकृति ही ऐसी है कि यह बिखरा हुआ, अनियमित, अनौपचारिक तथा प्रायः कानूनी निगरानी की परिधि से बाहर रहता है, और यही विशेषता बाल श्रम को पनपने के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करती है।

कोविड-19 महामारी ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया, क्योंकि आर्थिक असुरक्षा, बेरोजगारी, विद्यालयों के बंद होने तथा प्रवासी परिवारों की दुर्दशा के कारण अनेक बच्चे पुनः श्रम की ओर लौट गए। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम के विविध आयामों का समग्र एवं समीक्षात्मक अध्ययन किया जाए। प्रस्तुत शोध पत्र इसी उद्देश्य से प्रेरित है। इसका मुख्य लक्ष्य उपलब्ध साहित्य, आँकड़ों एवं नीतिगत दस्तावेज़ों के आधार पर असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम के मुद्दों, चुनौतियों एवं उन्मूलन की संभावनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करना है, ताकि नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं एवं समाज को इस दिशा में सार्थक हस्तक्षेप हेतु आधार उपलब्ध हो सके।

2. बाल श्रम की अवधारणा एवं परिभाषा

2.1 बाल श्रम का अर्थ

बाल श्रम से तात्पर्य उस कार्य से है जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता एवं गरिमा से वंचित करता है तथा उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए हानिकारक होता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, प्रत्येक कार्य को बाल श्रम नहीं कहा जा सकता; बच्चों द्वारा किया जाने वाला हल्का एवं आयु-उपयुक्त कार्य, जो उनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य में बाधक न हो, उसे बाल श्रम की श्रेणी में नहीं रखा जाता। बाल श्रम वह कार्य है जो बच्चों को विद्यालय जाने से रोकता है, उन्हें असमय परिपक्वता एवं उत्तरदायित्व की ओर धकेलता है तथा जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में रखता है। भारतीय संदर्भ में, बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी व्यवसाय अथवा प्रक्रिया में नियोजित करना प्रतिबंधित है, तथा 14–18 वर्ष के किशोरों को संकटपूर्ण (hazardous) व्यवसायों में लगाने पर रोक है।

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

2.2 बाल श्रम की विशेषताएँ

असंगठित क्षेत्र में व्याप्त बाल श्रम की कुछ विशिष्ट विशेषताएँ हैं, जिन्हें निम्नवत् समझा जा सकता है:

- यह प्रायः अनौपचारिक, अनुबंध-रहित एवं मौखिक समझौतों पर आधारित होता है, जिससे श्रमिक का कोई अभिलेख नहीं रहता।
- बच्चों को वयस्कों की तुलना में अत्यंत कम अथवा कोई मजदूरी नहीं दी जाती, जिससे वे नियोक्ताओं के लिए 'सस्ती श्रम-शक्ति' बन जाते हैं।
- कार्य की दशाएँ प्रायः असुरक्षित, अस्वच्छ एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं तथा कार्य के घंटे अत्यधिक होते हैं।
- यह प्रायः पारिवारिक श्रम के रूप में छिपा रहता है, विशेषकर कृषि एवं घरेलू उद्योगों में।
- बालिकाओं की भागीदारी घरेलू कार्यों एवं अदृश्य श्रम में अधिक होती है, जो आँकड़ों में प्रायः दर्ज ही नहीं होती।

2.3 बाल श्रम के प्रकार

बाल श्रम को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रकृति के आधार पर इसे संगठित एवं असंगठित श्रम में बाँटा जा सकता है, जबकि जोखिम के आधार पर इसे संकटपूर्ण (hazardous) एवं गैर-संकटपूर्ण श्रम में विभाजित किया जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण भेद बंधुआ बाल श्रम (bonded child labour) का है, जिसमें बच्चे परिवार के ऋण के बदले बँधक के रूप में कार्य करने को विवश होते हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू बाल श्रम, प्रवासी बाल श्रम तथा तस्करी-आधारित बाल श्रम भी असंगठित क्षेत्र में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। आई.एल.ओ. ने 'बाल श्रम के निकृष्टतम रूपों' (worst forms of child labour) को विशेष रूप से चिह्नित किया है, जिनमें दासता, तस्करी, यौन शोषण तथा अत्यंत जोखिमपूर्ण कार्य सम्मिलित हैं।

3. भारत में असंगठित क्षेत्र का स्वरूप

3.1 असंगठित क्षेत्र की अवधारणा

असंगठित अथवा अनौपचारिक क्षेत्र से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के उस भाग से है जो किसी निश्चित कानूनी ढाँचे, नियमन अथवा सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता। राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग (NCEUS) के अनुसार, असंगठित क्षेत्र में वे सभी निजी उद्यम सम्मिलित हैं जो दस से कम श्रमिकों को रोजगार देते हैं तथा जिनका संचालन व्यक्तियों अथवा परिवारों द्वारा किया जाता है। इस क्षेत्र की विशेषताएँ हैं — अनियमित रोजगार, न्यूनतम मजदूरी का अभाव, सामाजिक सुरक्षा की अनुपस्थिति, श्रम कानूनों का सीमित अनुप्रयोग तथा कार्यस्थलों का अत्यधिक बिखराव। यही विशेषताएँ इस क्षेत्र को बाल श्रम के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती हैं, क्योंकि निगरानी एवं प्रवर्तन तंत्र की पहुँच यहाँ अत्यंत सीमित रहती है।

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

3.2 प्रमुख असंगठित क्षेत्र

भारत में बाल श्रम की दृष्टि से कुछ प्रमुख असंगठित क्षेत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिनमें कृषि सबसे बड़ा नियोक्ता है। इसके अतिरिक्त घरेलू कार्य, ढाबे एवं छोटे होटल, ईंट-भट्ठे, निर्माण कार्य, खनन एवं उत्खनन, कालीन एवं वस्त्र बुनाई, बीड़ी निर्माण, चूड़ी एवं कांच उद्योग, आतिशबाजी, चमड़ा-शोधन, रत्न एवं आभूषण निर्माण तथा कूड़ा बीनने जैसे कार्य प्रमुख हैं। इनमें से अनेक कार्य संकटपूर्ण श्रेणी में आते हैं, जहाँ बच्चे रासायनिक धुएँ, तीक्ष्ण उपकरणों, अत्यधिक ताप तथा भारी वजन के संपर्क में रहते हैं।

3.3 भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र का योगदान

असंगठित क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। विभिन्न अनुमानों के अनुसार, भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 90 प्रतिशत से अधिक भाग असंगठित क्षेत्र में नियोजित है, तथा यह सकल घरेलू उत्पाद में भी लगभग आधे का योगदान करता है। यह विशाल आकार ही इस क्षेत्र को नियंत्रित एवं विनियमित करने में सबसे बड़ी बाधा है। चूँकि अधिकांश रोजगार अनौपचारिक है, इसलिए श्रम कानूनों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तथा सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों का लाभ इन श्रमिकों तक प्रायः नहीं पहुँच पाता। इसी संरचनात्मक कमजोरी के भीतर बाल श्रम एक अदृश्य किंतु व्यापक परिघटना के रूप में विद्यमान रहता है।

4. भारत में बाल श्रम की वर्तमान स्थिति

4.1 सांख्यिकीय परिदृश्य

भारत में बाल श्रम के विश्वसनीय एवं अद्यतन आँकड़ों का अभाव स्वयं में एक चुनौती है। 2011 की जनगणना के अनुसार 5–14 वर्ष आयु-वर्ग में लगभग 1.01 करोड़ बाल श्रमिक थे, जो 2001 की तुलना में कमी को दर्शाता है। आई.एल.ओ. एवं यूनिसेफ के संयुक्त वैश्विक अनुमान, 2020 के अनुसार विश्व में बाल श्रम की प्रवृत्ति में पहली बार वृद्धि देखी गई, और कोविड-19 महामारी ने इस स्थिति को और बिगाड़ दिया। यह उल्लेखनीय है कि भारत में बाल श्रम के सटीक मापन हेतु कोई विशेष आवधिक सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण शोधकर्ता प्रायः जनगणना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS) तथा आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (PLFS) के आँकड़ों का सम्मिश्रण कर अनुमान प्रस्तुत करते हैं। ऐसे अनुमानों से प्रकट होता है कि असंगठित एवं अनौपचारिक रोजगार में बच्चों की वास्तविक संख्या आधिकारिक आँकड़ों से कहीं अधिक है।

4.2 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बाल श्रम

बाल श्रम का स्वरूप ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश बाल श्रम कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में केंद्रित है, जहाँ बच्चे प्रायः पारिवारिक खेतों, पशुपालन तथा खेतिहर मजदूरी में संलग्न रहते हैं। इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में बाल श्रम असंगठित विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में अधिक पाया जाता है, जैसे ढाबे, मरम्मत की दुकानें, घरेलू कार्य, कूड़ा बीनना तथा छोटे कारखाने। शहरीकरण एवं प्रवासन के कारण ग्रामीण निर्धन परिवार शहरों की मलिन बस्तियों की ओर पलायन करते हैं, और जीवन-यापन की

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

विवशता में बच्चे श्रम-बाजार का हिस्सा बन जाते हैं। यह प्रवृत्ति विशेषकर दिल्ली जैसे महानगरों में अत्यंत जटिल रूप धारण कर लेती है।

4.3 विभिन्न उद्योगों में बाल श्रम की स्थिति

असंगठित क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों में बाल श्रम की उपस्थिति एवं स्वरूप में पर्याप्त विविधता है। कृषि के पश्चात निर्माण, खनन तथा मजदूरी-आधारित खेती में सर्वाधिक बाल श्रमिक पाए जाते हैं। वस्त्र विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र — जैसे रेहड़ी-पटरी पर सामान बेचना — में भी बच्चों की उल्लेखनीय संख्या दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त ईंट-भट्ठों, पत्थर की खदानों, कालीन बुनाई, बीड़ी रोलिंग, रेशम कीट-पालन, रेशमी साड़ी निर्माण, चाँदी के आभूषण, कृत्रिम रत्न, हीरा-तराशी तथा चमड़ा उत्पादों जैसे कार्यों में भी बाल श्रम की पुष्टि विभिन्न अध्ययनों एवं प्रतिवेदनों में होती है। ध्यातव्य है कि इनमें से अधिकांश कार्य संकटपूर्ण श्रेणी में आते हैं और बच्चों के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

5. असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम के प्रमुख कारण

5.1 गरीबी एवं आर्थिक विवशता

बाल श्रम का सबसे प्रमुख एवं मूलभूत कारण गरीबी है। आई.एल.ओ. भी गरीबी को बाल श्रम का सबसे बड़ा एकल कारण मानता है। निर्धन परिवारों के लिए बच्चे एक अतिरिक्त आय-स्रोत बन जाते हैं, और परिवार के जीवन-निर्वाह की तात्कालिक आवश्यकता बच्चों की शिक्षा एवं भविष्य पर भारी पड़ती है। शोध से प्रमाणित है कि गरीबी एवं बाल श्रम के बीच धनात्मक संबंध है — जैसे-जैसे पारिवारिक आय घटती है, बच्चों के श्रम में संलग्न होने की संभावना बढ़ती जाती है। आर्थिक रूप से वंचित परिवारों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे बाल श्रम के प्रति अधिक संवेदनशील पाए जाते हैं।

5.2 अशिक्षा एवं जागरूकता का अभाव

अशिक्षा बाल श्रम का कारण भी है और परिणाम भी। माता-पिता की निरक्षरता, शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता का अभाव तथा विद्यालयी अवसंरचना की दुर्बलता मिलकर बच्चों को श्रम की ओर धकेलते हैं। अनेक अध्ययनों में शिक्षा एवं गरीबी को बाल श्रम के दो सर्वाधिक निर्णायक कारकों के रूप में चिह्नित किया गया है। जहाँ विद्यालय दूर हों, शिक्षकों एवं सुविधाओं का अभाव हो तथा शिक्षा की गुणवत्ता निम्न हो, वहाँ अभिभावक शिक्षा को निरर्थक मानकर बच्चों को कार्य में लगाना अधिक लाभकारी समझते हैं। इस प्रकार शिक्षा की पहुँच एवं गुणवत्ता का अभाव बाल श्रम के एक दुष्चक्र को जन्म देता है।

5.3 पारिवारिक एवं सामाजिक कारक

पारिवारिक संरचना, परंपराएँ एवं सामाजिक मान्यताएँ भी बाल श्रम को बढ़ावा देती हैं। कुछ समुदायों एवं परिवारों में बच्चों को कृषि, कालीन बुनाई अथवा घरेलू सेवा जैसे पारंपरिक व्यवसायों में लगाने की प्रथा रही है। कई स्थानों पर यह धारणा भी प्रचलित है कि शिक्षा, विशेषकर बालिकाओं के लिए, अनावश्यक है। बड़े परिवार, माता-पिता की मृत्यु अथवा बीमारी, तथा बालिकाओं के बाल-विवाह जैसी सामाजिक

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

परिस्थितियाँ भी बच्चों को असमय श्रम एवं उत्तरदायित्व की ओर धकेलती हैं। जाति एवं सामाजिक वंचन भी बाल श्रम की प्रकृति एवं तीव्रता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं।

5.4 प्रवासन एवं बेरोजगारी

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सम्मानजनक अवसरों के अभाव तथा वयस्कों की बेरोजगारी एवं अल्प-मजदूरी के कारण परिवार शहरों की ओर पलायन करते हैं। प्रवासी परिवारों के बच्चे प्रायः अपने माता-पिता के साथ ईंट-भट्ठों एवं निर्माण-स्थलों पर श्रम करते हैं। कोविड-19 महामारी की पहली लहर के पश्चात प्रवासी श्रमिकों के साथ ईंट निर्माण उद्योग में जाने वाले बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार वयस्कों के लिए सम्मानजनक एवं स्थायी रोजगार के अवसरों का अभाव अप्रत्यक्ष रूप से बाल श्रम को बढ़ावा देता है।

5.5 सस्ती श्रम शक्ति की मांग

आपूर्ति-पक्ष के कारकों के साथ-साथ माँग-पक्ष भी बाल श्रम को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। असंगठित क्षेत्र के नियोक्ता बच्चों को इसलिए नियोजित करना पसंद करते हैं क्योंकि वे कम मजदूरी पर, बिना किसी संगठित विरोध अथवा सौदेबाजी के, लंबे समय तक कार्य करने को विवश रहते हैं। कुछ उद्योगों में यह तर्क भी दिया जाता है कि बच्चों की 'नाजुक अँगुलियाँ' कालीन बुनाई अथवा रत्न-तराशी जैसे बारीक कार्यों के लिए उपयुक्त होती हैं, यद्यपि यह तर्क वैज्ञानिक रूप से निराधार एवं शोषणकारी है। इस प्रकार सस्ती एवं 'आज्ञाकारी' श्रम-शक्ति की निरंतर माँग बाल श्रम की आपूर्ति को बनाए रखती है।

6. असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम से उत्पन्न समस्याएँ

6.1 शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बच्चे प्रायः असुरक्षित एवं संकटपूर्ण परिस्थितियों में लंबे घंटे श्रम करते हैं, जिसका उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। रासायनिक धुएँ, धूल, तीक्ष्ण उपकरणों, अत्यधिक ताप एवं भारी वजन के संपर्क से बच्चे श्वसन रोग, चर्म रोग, चोट तथा शारीरिक विकृति का शिकार होते हैं। अल्पाहार एवं अत्यधिक श्रम से कुपोषण एवं अवरुद्ध शारीरिक विकास की समस्या उत्पन्न होती है। इसके साथ ही असमय उत्तरदायित्व, शोषण एवं असुरक्षा बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं, जिससे वे तनाव, भय एवं हीनभावना से ग्रस्त हो सकते हैं।

6.2 शिक्षा से वंचित होना

बाल श्रम का सबसे दूरगामी परिणाम बच्चों का शिक्षा से वंचित होना है। श्रम में संलग्न बच्चे या तो विद्यालय जा ही नहीं पाते अथवा श्रम एवं अध्ययन के दोहरे बोझ तले उनकी शैक्षिक उपलब्धि अत्यंत निम्न रह जाती है। शिक्षा एवं विद्यालयी उपस्थिति तथा बाल श्रम के बीच ऋणात्मक संबंध सुस्थापित है। शिक्षा से वंचित रहकर ये बच्चे कौशल एवं ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते, जिससे वयस्क होने पर भी वे केवल अकुशल एवं अल्प-वेतन रोजगार तक सीमित रह जाते हैं। इस प्रकार बाल श्रम पीढ़ी-दर-पीढ़ी गरीबी के दुष्चक्र को बनाए रखता है।

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

6.3 सामाजिक एवं आर्थिक शोषण

असंगठित क्षेत्र की अनौपचारिकता बच्चों को व्यापक शोषण के प्रति असुरक्षित बना देती है। बच्चों को वयस्कों की तुलना में अत्यंत कम मजदूरी दी जाती है, उन्हें अवकाश नहीं मिलता तथा उनसे निर्धारित समय से अधिक कार्य कराया जाता है। बंधुआ श्रम के रूप में अनेक बच्चे पारिवारिक ऋण चुकाने हेतु बँधक बना दिए जाते हैं। कुछ मामलों में बच्चों की तस्करी कर उन्हें घरेलू सेवा अथवा अन्य कार्यों में जबरन लगाया जाता है। इस प्रकार आर्थिक शोषण के साथ-साथ बच्चे शारीरिक एवं मानसिक दुर्व्यवहार के भी शिकार होते हैं।

6.4 बाल अधिकारों का हनन

बाल श्रम मूलतः बाल अधिकारों के हनन का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते (UNCRC) तथा भारतीय संविधान बच्चों को जीवन, विकास, संरक्षण एवं सहभागिता के अधिकार प्रदान करते हैं। बाल श्रम बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, विश्राम एवं सुरक्षित बचपन के अधिकार से वंचित कर देता है। यह उनकी मानवीय गरिमा का अपमान है और उन्हें एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं सम्मानजनक भविष्य के अवसर से वंचित करता है। अतः बाल श्रम केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर मानवाधिकार चुनौती है।

7. बाल श्रम उन्मूलन हेतु सरकारी नीतियाँ एवं कानूनी प्रावधान

7.1 बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम

भारत में बाल श्रम के नियमन हेतु बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 एक आधारभूत विधिक ढाँचा है, जिसे 2016 में संशोधित किया गया। 2016 के संशोधन के पश्चात इसे 'बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम' कहा जाता है। इस संशोधन ने 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया तथा 14–18 वर्ष के किशोरों के लिए 'किशोर' की एक नई श्रेणी बनाकर उन्हें संकटपूर्ण व्यवसायों में नियोजित करने पर रोक लगाई। यद्यपि यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण कदम है, तथापि इसमें पारिवारिक उद्यमों में बच्चों के सहायता-कार्य को अपवाद के रूप में अनुमति देने के प्रावधान की आलोचना भी की जाती है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में यह छूट प्रायः शोषण का माध्यम बन जाती है।

7.2 शिक्षा का अधिकार अधिनियम

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) ने 6–14 वर्ष आयु-वर्ग के प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया। यह अधिनियम बाल श्रम उन्मूलन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सार्वभौमिक एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों को श्रम-बाजार से दूर रखकर विद्यालय की ओर आकर्षित करती है। शिक्षा एवं बाल श्रम उन्मूलन के बीच गहरा संबंध रहा है — जैसे-जैसे विद्यालयी नामांकन बढ़ता है, बाल श्रम की प्रवृत्ति घटती जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 तथा 'निपुण भारत' एवं 'पीएम श्री' जैसी पहलें भी इस दिशा में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

7.3 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP)

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (National Child Labour Project Scheme) की शुरुआत 1988 में बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु की गई थी। इस योजना के अंतर्गत बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों को विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति एवं स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कर मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। यह योजना बाल श्रम के प्रति विशेष संवेदनशील जिलों में संचालित की जाती रही है। पुनर्वास एवं समाज में पुनः एकीकरण की दृष्टि से यह योजना उल्लेखनीय रही है, यद्यपि इसके क्रियान्वयन में संसाधनों एवं निगरानी की कमी एक चुनौती बनी रही है।

7.4 अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) एवं यूनिसेफ की भूमिका

बाल श्रम उन्मूलन के वैश्विक प्रयासों में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) एवं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) की भूमिका निर्णायक रही है। आई.एल.ओ. के न्यूनतम आयु अभिसमय (सं. 138) तथा बाल श्रम के निकृष्टतम रूपों संबंधी अभिसमय (सं. 182) अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारित करते हैं, जिनका भारत ने भी अनुसमर्थन किया है। ये संगठन समय-समय पर वैश्विक अनुमान प्रकाशित करते हैं, नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं तथा सदस्य देशों को तकनीकी सहयोग देते हैं। यूनिसेफ बाल अधिकारों, शिक्षा एवं संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य करता है तथा भारत में बाल श्रम एवं शिक्षा संबंधी अनेक महत्वपूर्ण अध्ययन प्रकाशित कर चुका है।

8. साहित्य समीक्षा

बाल श्रम पर विगत दशक में विपुल शोध-साहित्य प्रकाशित हुआ है, जिसका विषयगत वर्गीकरण इस अध्ययन की पृष्ठभूमि को सुदृढ़ करता है। कारणात्मक अध्ययनों की श्रेणी में, किम एवं ओल्सन (2023) ने समय-उपयोग के परिप्रेक्ष्य से भारत में बाल श्रम एवं लंबे कार्य-घंटों की व्यापकता का विश्लेषण किया तथा बालक-बालिकाओं के बाल-विकास संबंधी चिंताओं को रेखांकित किया। किम, ओल्सन एवं अरुण (2020) ने बायेसियन पद्धति से भारत में बाल श्रम का अनुमान प्रस्तुत करते हुए दर्शाया कि निर्माण, खनन एवं मजदूरी-आधारित कृषि में सर्वाधिक बाल श्रमिक हैं तथा अदृश्य घरेलू श्रम में बालिकाओं की भागीदारी सर्वाधिक है।

निर्धारक-तत्व विश्लेषण की दृष्टि से, आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (2019–20) पर आधारित अध्ययनों ने शिक्षा एवं गरीबी को बाल श्रम के दो सर्वाधिक निर्णायक निर्धारक के रूप में पहचाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों, कृषक परिवारों एवं सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के बच्चों की अधिक भेद्यता को रेखांकित किया। आर्थिक एवं राजनीतिक साप्ताहिक (EPW) में प्रकाशित अध्ययनों ने भी गरीबी को बाल श्रम का मूल कारण मानते हुए विधिक प्रावधानों के बावजूद इसके बने रहने की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मिश्रा (2021) ने ओडिशा के संदर्भ में वंचित परिवारों में बाल श्रम के कारणों का अनुभवजन्य विश्लेषण प्रस्तुत किया।

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

नीति एवं विधि-केंद्रित अध्ययनों में, सिंह एवं मोदी (2023) ने भारत में बाल श्रम एवं संबंधित कानूनों का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया, जबकि श्रीवास्तव (2019) ने भारत में कार्यरत बच्चों, बाल श्रम एवं आधुनिक दासता का समग्र अवलोकन प्रदान किया। हाल के अध्ययनों में, राव एवं बुर्ला (2024) ने गरीबी, अभिभावकीय निरक्षरता एवं अस्थिर रोजगार को बाल श्रम के बने रहने के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में पुष्ट किया। मशीन-लर्निंग आधारित नवीन अध्ययनों ने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था — कृषि, लघु विनिर्माण एवं घरेलू कार्य — को नियमन की दृष्टि से सर्वाधिक कठिन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया।
संस्थागत प्रतिवेदनों में, यूनिसेफ-इनोसेंटी (2024) के 'भारत में बाल श्रम एवं विद्यालयन' तथा 'बाल श्रम समाप्ति हेतु शिक्षा का उत्तोलन' संबंधी अध्ययनों ने शिक्षा एवं बाल श्रम उन्मूलन के बीच प्रबल सकारात्मक संबंध को प्रलेखित किया। आई.एल.ओ.-यूनिसेफ के वैश्विक अनुमान, 2020 ने दशकों में पहली बार बाल श्रम में वृद्धि की चेतावनी दी तथा कोविड-19 के कारण इसके और बढ़ने की आशंका व्यक्त की। समग्रतः, उपलब्ध साहित्य यह संकेत देता है कि असंगठित क्षेत्र पर विशेष रूप से केंद्रित, अद्यतन एवं समीक्षात्मक अध्ययनों की अभी भी आवश्यकता बनी हुई है, जिस शोध-अंतराल को प्रस्तुत पत्र संबोधित करने का प्रयास करता है।

9. असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

9.1 कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की समस्या

भारत में बाल श्रम के विरुद्ध सशक्त कानून विद्यमान होने के बावजूद उनका प्रभावी क्रियान्वयन सबसे बड़ी चुनौती है। असंगठित क्षेत्र की अनौपचारिकता, बिखराव एवं अदृश्यता के कारण प्रवर्तन एजेंसियों के लिए उल्लंघनों की पहचान एवं कार्रवाई करना कठिन हो जाता है। अपर्याप्त संसाधन, भ्रष्टाचार तथा स्थानीय प्रशासनिक तंत्र में जवाबदेही का अभाव कानूनों के क्रियान्वयन को और दुर्बल बनाते हैं। फलस्वरूप नियोक्ता प्रायः बिना किसी भय के बच्चों को नियोजित करते हैं, क्योंकि पकड़े जाने एवं दंडित होने की संभावना अत्यंत कम रहती है।

9.2 निगरानी एवं नियंत्रण का अभाव

असंगठित क्षेत्र के कार्यस्थल छोटे, बिखरे हुए एवं प्रायः घरेलू परिसरों में स्थित होते हैं, जिससे इनकी निगरानी अत्यंत कठिन हो जाती है। श्रम निरीक्षण तंत्र की सीमित क्षमता एवं जनशक्ति की कमी इस क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण को असंभव-सा बना देती है। घरेलू कार्य एवं पारिवारिक श्रम जैसे क्षेत्रों में बाल श्रम पूर्णतः अदृश्य रहता है, क्योंकि वहाँ बाहरी निरीक्षण की पहुँच नहीं होती। विश्वसनीय एवं अद्यतन आँकड़ों का अभाव भी निगरानी को और जटिल बनाता है।

9.3 सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ

बाल श्रम की जड़ें गहरी सामाजिक-आर्थिक असमानताओं में निहित हैं। गरीबी, जातिगत वंचन, क्षेत्रीय असमानता तथा शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों की असमान पहुँच मिलकर कुछ विशेष समुदायों के बच्चों को बाल श्रम के प्रति अधिक संवेदनशील बना देती हैं। जब तक इन संरचनात्मक असमानताओं को

संबोधित नहीं किया जाता, तब तक केवल विधिक हस्तक्षेप से बाल श्रम का स्थायी उन्मूलन कठिन है। यह चुनौती बाल श्रम को एक पृथक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि व्यापक विकासात्मक एवं सामाजिक न्याय के प्रश्न के रूप में देखने की माँग करती है।

9.4 पुनर्वास संबंधी चुनौतियाँ

बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों का प्रभावी पुनर्वास एवं समाज में पुनः एकीकरण एक जटिल कार्य है। केवल बच्चों को कार्य से हटा देना पर्याप्त नहीं है; उन्हें शिक्षा, मनोवैज्ञानिक सहायता, स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करना आवश्यक है, अन्यथा वे पुनः श्रम की ओर लौट सकते हैं। पुनर्वास केंद्रों की अपर्याप्त संख्या, गुणवत्ता की कमी एवं अनुवर्ती निगरानी का अभाव इस प्रक्रिया को कमजोर बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, परिवार की गरीबी का समाधान किए बिना केवल बच्चे का पुनर्वास दीर्घकाल में टिकाऊ नहीं रहता।

10. बाल श्रम उन्मूलन की संभावनाएँ एवं भविष्य की दिशा

10.1 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार

बाल श्रम उन्मूलन की सबसे प्रभावी रणनीति गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं नि:शुल्क शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण है। शिक्षा एवं बाल श्रम उन्मूलन के बीच प्रबल सकारात्मक संबंध को देखते हुए, विद्यालयी अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, शिक्षकों की उपलब्धता, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। विशेषकर वंचित एवं प्रवासी समुदायों के बच्चों के लिए सेतु-पाठ्यक्रम एवं लचीली शिक्षण व्यवस्थाएँ अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं।

10.2 कौशल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा

बाल श्रम के मूल कारण — गरीबी एवं वयस्क बेरोजगारी — को संबोधित करने हेतु परिवारों को सामाजिक सुरक्षा एवं आजीविका के स्थायी अवसर प्रदान करना आवश्यक है। वयस्क सदस्यों के लिए कौशल विकास, रोजगार गारंटी, न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार परिवारों की उस आर्थिक विवशता को कम कर सकता है, जो बच्चों को श्रम की ओर धकेलती है। बड़े किशोरों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण उन्हें सम्मानजनक एवं सुरक्षित रोजगार की ओर अग्रसर कर सकता है।

10.3 डिजिटल निगरानी एवं प्रशासनिक सुधार

तकनीक का प्रयोग बाल श्रम की निगरानी एवं रोकथाम में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकता है। बाल श्रम की शिकायत एवं रिपोर्टिंग हेतु डिजिटल मंच, हेल्पलाइन, आँकड़ा-आधारित जोखिम-मानचित्रण (risk-mapping) तथा विद्यालयी उपस्थिति एवं श्रम-संलग्नता के अंतर-विभागीय आँकड़ों का एकीकरण निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बना सकता है। प्रशासनिक स्तर पर श्रम निरीक्षण क्षमता का विस्तार, अंतर-विभागीय

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

समन्वय एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। मशीन-लर्निंग आधारित विश्लेषण संवेदनशील क्षेत्रों एवं समुदायों की पहचान कर लक्षित हस्तक्षेप को संभव बना सकते हैं।

10.4 सामुदायिक एवं गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

बाल श्रम उन्मूलन एक बहु-हितधारक प्रयास है, जिसमें समुदाय, नागरिक समाज एवं गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान, अभिभावकों की संवेदनशीलता में वृद्धि, बाल अधिकार समूहों का गठन तथा बचाव एवं पुनर्वास कार्यों में सक्रिय भागीदारी से स्थायी परिवर्तन संभव है। समुदाय-आधारित निगरानी तंत्र, जहाँ स्थानीय निवासी स्वयं बाल श्रम की पहचान एवं रिपोर्टिंग में सहयोग करते हैं, अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। सरकार एवं नागरिक समाज के बीच सहयोग एवं समन्वय इस दिशा में निर्णायक है।

10.5 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की दिशा में प्रयास

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में लक्ष्य 8.7 स्पष्ट रूप से 2024 तक बाल श्रम के सभी रूपों की समाप्ति का आह्वान करता है। यह वैश्विक प्रतिबद्धता बाल श्रम उन्मूलन को एक तात्कालिक एवं केंद्रीय विकासात्मक प्राथमिकता बनाती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु गरीबी उन्मूलन (लक्ष्य 1), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (लक्ष्य 4) तथा असमानता में कमी (लक्ष्य 10) जैसे अन्य लक्ष्यों के साथ समन्वित एवं समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। बाल श्रम को एक पृथक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि व्यापक सतत विकास एजेंडे के अभिन्न अंग के रूप में देखना ही इसके स्थायी उन्मूलन की कुंजी है।

11. चर्चा एवं विश्लेषण

उपर्युक्त विश्लेषण से कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष उभरते हैं। प्रथमतः, असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम एक बहु-कारणात्मक परिघटना है, जिसमें आपूर्ति-पक्ष (गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक मान्यताएँ) एवं माँग-पक्ष (सस्ती श्रम-शक्ति की माँग) दोनों परस्पर क्रिया करते हैं। केवल एक आयाम पर केंद्रित हस्तक्षेप अपर्याप्त सिद्ध होते हैं; अतः एक समग्र एवं बहु-आयामी रणनीति की आवश्यकता है, जो एक साथ गरीबी, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं प्रवर्तन — सभी को संबोधित करे।

द्वितीयतः, विधि एवं नीति तथा यथार्थ के बीच का अंतराल इस समस्या का केंद्रीय पहलू है। भारत में बाल श्रम के विरुद्ध सशक्त विधिक ढाँचा होने के बावजूद, असंगठित क्षेत्र की संरचनात्मक विशेषताएँ — अनौपचारिकता, बिखराव एवं अदृश्यता — प्रवर्तन को अत्यंत कठिन बना देती हैं। यह स्पष्ट करता है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं; क्रियान्वयन क्षमता, निगरानी तंत्र एवं प्रशासनिक जवाबदेही का सुदृढ़ीकरण समान रूप से आवश्यक है।

तृतीयतः, शिक्षा बाल श्रम उन्मूलन का सबसे शक्तिशाली उपकरण के रूप में बार-बार उभरती है। साहित्य लगातार यह दर्शाता है कि विद्यालयी नामांकन में वृद्धि एवं बाल श्रम में कमी के बीच प्रबल संबंध है। तथापि, केवल नामांकन पर्याप्त नहीं; शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता भी निर्णायक है, क्योंकि निम्न-गुणवत्ता वाली शिक्षा अभिभावकों को बच्चों को श्रम में लगाने हेतु पुनः प्रेरित कर सकती है।

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

चतुर्थतः, कोविड-19 महामारी ने यह उजागर किया कि बाल श्रम में प्राप्त प्रगति कितनी भंगुर है। आर्थिक संकट, विद्यालयों के बंद होने एवं प्रवासी संकट ने अनेक बच्चों को पुनः श्रम की ओर धकेल दिया। यह संकट-प्रतिरोधी (crisis-resilient) सामाजिक सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो आर्थिक झटकों के समय बच्चों को श्रम में लौटने से रोक सके। समग्रतः, विश्लेषण यह स्थापित करता है कि बाल श्रम उन्मूलन एक दीर्घकालिक, समन्वित एवं बहु-हितधारक प्रयास की माँग करता है।

12. निष्कर्ष

प्रस्तुत समीक्षात्मक अध्ययन ने भारत के असंगठित क्षेत्र में व्याप्त बाल श्रम के विविध आयामों — इसकी अवधारणा, स्वरूप, कारणों, समस्याओं, नीतिगत ढाँचे, चुनौतियों एवं संभावनाओं — का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत किया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि असंगठित क्षेत्र, अपनी अनौपचारिकता, बिखराव एवं अदृश्यता के कारण, बाल श्रम का सबसे बड़ा एवं सबसे कठिन रूप से नियंत्रित किया जा सकने वाला आश्रय-स्थल बना हुआ है। गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक असमानता, प्रवासन तथा सस्ती श्रम-शक्ति की माँग जैसे परस्पर संबद्ध कारक इस समस्या को निरंतर बनाए रखते हैं।

यद्यपि भारत में बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जैसे सशक्त विधिक-नीतिगत साधन उपलब्ध हैं, तथापि क्रियान्वयन, निगरानी एवं पुनर्वास के स्तर पर गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं। अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि बाल श्रम-मुक्त भारत का स्वप्न केवल विधिक प्रवर्तन से साकार नहीं होगा; इसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, डिजिटल निगरानी, कौशल विकास, सामुदायिक भागीदारी तथा सतत विकास लक्ष्यों के प्रति समन्वित प्रतिबद्धता — सभी को एक साथ साधना होगा।

अंततः, बाल श्रम को एक पृथक श्रम-समस्या के रूप में नहीं, बल्कि गरीबी, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार से जुड़े एक व्यापक विकासात्मक प्रश्न के रूप में देखा जाना चाहिए। भविष्य के शोध के लिए यह आवश्यक है कि असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम के मापन हेतु विशेष एवं आवधिक सर्वेक्षण विकसित किए जाएँ, क्षेत्र-विशिष्ट सूक्ष्म अध्ययन किए जाएँ तथा नीतिगत हस्तक्षेपों की प्रभाव-शीलता का मूल्यांकन किया जाए। एक स्वस्थ, शिक्षित एवं सुरक्षित बचपन ही एक समृद्ध एवं न्यायसंगत राष्ट्र की वास्तविक नींव है।

संदर्भ सूची

1. किम, जे., एवं ओल्सन, डब्ल्यू. (2023). भारत में समय-उपयोग दृष्टिकोण से बाल श्रम के हानिकारक स्वरूप। डेवलपमेंट इन प्रैक्टिस, 33(2), 190–204।
2. किम, जे., ओल्सन, डब्ल्यू., एवं अरुण, डब्ल्यू. (2020). भारत में बाल श्रम का बेयज़ियन अनुमान। चाइल्ड इंडिकेटर्स रिसर्च, 13(4), 1975–2001।
3. यूनिसेफ अनुसंधान कार्यालय–इनोसेंटी. (2024). भारत में बाल श्रम और स्कूली शिक्षा: बाल कार्य एवं बाल श्रम के अनुमान। फ्लोरेंस: यूनिसेफ इनोसेंटी।

4. यूनिसेफ अनुसंधान कार्यालय–इनोसेंटी. (2024). बाल श्रम समाप्त करने हेतु शिक्षा का उपयोग: भारत एवं बांग्लादेश से प्राप्त शिक्षाएँ। फ्लोरेंस: यूनिसेफ इनोसेंटी।
5. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं यूनिसेफ. (2021). बाल श्रम: वैश्विक अनुमान 2020, प्रवृत्तियाँ एवं आगे की राह। जिनेवा: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं यूनिसेफ।
6. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन. (2017). बाल श्रम के वैश्विक अनुमान: 2012–2016 के परिणाम एवं प्रवृत्तियाँ। जिनेवा: अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय।
7. श्रीवास्तव, आर. एन. (2019). भारत में कार्यरत बच्चे, बाल श्रम एवं आधुनिक दासता: एक अवलोकन। इंडियन पीडियाट्रिक्स, 56(8), 633–638।
8. सिंह, एस., एवं मोदी, एस. (2023). भारत में बाल श्रम एवं कानूनों का एक आलोचनात्मक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन, 15(2), 1–10।
9. मिश्रा, एच. के. (2021). विकासशील देशों के वंचित परिवारों में बाल श्रम की विविधता एवं उसके कारण: ओडिशा, भारत से साक्ष्य। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च (IJAR), 9(3), 451–460।
10. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली. (2022). भारत में बाल श्रम के निर्धारक। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 57(42), 45–53।
11. दास, एस. (2022). भारत में बाल श्रम के क्षेत्रीय आयाम: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019–20 से साक्ष्य। चिल्ड्रेन एंड यूथ सर्विसेज रिव्यू, 138, 106500।
12. गाल्डो, जे. सी., डैमर्ट, ए., एवं अबेबॉ, डी. (2021). कृषि क्षेत्र में बाल श्रम में लैंगिक पक्षपात: सर्वेक्षण-आधारित प्रयोगों से साक्ष्य। द वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक रिव्यू, 35(4), 872–891।
13. राव, एन., एवं बुरला, एस. (2024). भारत में बाल श्रम की निरंतरता: गरीबी, अभिभावकीय निरक्षरता एवं अस्थिर रोजगार की भूमिका। चिल्ड्रेन एंड यूथ सर्विसेज रिव्यू, 168, 107–120।
14. वेबिंक, ई., स्मिट्स, जे., एवं डी जोंग, ई. (2015). अफ्रीका एवं एशिया में बाल श्रम: पारिवारिक एवं संदर्भगत निर्धारक। द यूरोपियन जर्नल ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, 27(4), 567–584।
15. चौधरी, ए. (2020). दक्षिण एशिया में गरीबी एवं बाल श्रम की निरंतरता: एक समीक्षा। साउथ एशियन सर्वे, 27(2), 145–164।
16. हज़ारी, बी. आर., एवं मोहन, वी. (2021). बाल श्रम, गरीबी एवं आर्थिक विकास: सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य। जर्नल ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़, 48(5), 1023–1040।
17. दृष्टि आईएएस. (2023). बाल श्रम में वृद्धि: कारण, प्रभाव एवं आगे की राह। नई दिल्ली: दृष्टि प्रकाशन।
18. भारत सरकार. (2016). बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016। नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय।
19. भारत सरकार. (2009). बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009। नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय।
20. संयुक्त राज्य अमेरिका श्रम विभाग. (2021). बाल श्रम के सबसे खराब रूपों पर निष्कर्ष: भारत। वाशिंगटन, डी.सी.: अंतर्राष्ट्रीय श्रम मामलों का ब्यूरो।